राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकःएफ.16(1)(93)सामा/आईसीडीएस/17/21976 जयपुर,दिनांकः 5-2-18

<u>आ दे श</u>

समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित वर्ष 2017–18 में परीक्षा देने की अनुमति निम्न शर्तो पर दी जाती हैः–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5 जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।

6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।

8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी।

9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

10 प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन सेवारत अधिकारी/कर्मचारीगण जिन्हें अध्ययन की अनुमति दी गई है, उनकी समीक्षा करें एवं उनके शिक्षण संस्थानो से उनके अध्ययन और संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त करें। यदि अधिकारी/कर्मचारीगण शैक्षणिक संस्थानो के अनिवार्य वांछित शर्तो के साथ–साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन करते है तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री / प्रमाण–पत्र को अभिलेख पर नही लिया जाये ओर अपचारी राजसेवक के विरूद्व वृहद–शास्ती हेतु अनुशासनिक कार्यवाही कर सूचना अति.निदेशक (शिशु) मुख्यालय को देंगें।

क्र.सं	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	पदस्थापन स्थान	अग्रिम अध्ययन परीक्षा का नाम	पृष्ठ संख्या
1	श्री अनूप सोनी	कनिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, चितौड़गढ(ग्रामीण)	बी.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18)	1 /सी
2	श्री जगदीप मेघवाल	कनिष्ठ सहायक	बाल विकास परियोजना, सलूम्बर(प्रथम)	एम .कॉम अन्तिम वर्ष 2017–18)	2/सी
3	श्री महेश कुमार शर्मा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, सलूम्बर(प्रथम)	एम..ए. प्रथम वर्ष. (वर्ष 2017–18)	3/सी
5	श्री कृष्ण	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	सीडीपीओ (बसेडी)	बी..ए. प्रथम वर्ष. (वर्ष 2017–18)	5/सी
6	श्री रघुवीर सैन	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, रियाबडी (नागौर)	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	6/सी
7	श्रीमती मंजू भादु	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, रियाबडी (नागौर)	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	7/सी
8	श्रीमती पायल त्रिवेदी	महिला पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना, सागवाडा	एम .कॉम अन्तिम वर्ष 2017–18)	8/सी
9	श्रीमती संतोष कुमारी	महिला पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना, रावतसर (शहर)	एम.ए. प्रथम वर्ष वर्ष 2017–18	9/सी
10	श्री भीमाराम जोदारा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, आबूरोड़	बी..ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	10/सी
11	श्री गणेश लाल डिंडोर	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, सागवाडा	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	11/सी

12	निशा शर्मा	महिला पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना, किशनगढबास (अलवर)	बीए.(पत्राचार) वर्ष अंकित नही है। (वर्ष 2017–18)	12/सी
13	कमला डारा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना,श्रीनगर	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	13/सी
14	सुरेश कुमार गुर्जर	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, श्रीनगर	बीए प्रथम वर्ष2017–18	14/सी
15	सुरेश कुमार मीणा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, बिच्छिवाडा	बीए प्रथम वर्ष2017–18	15/सी
16	मुकेश कुमार टैलर	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, बिच्छिवाडा	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	16/सी
17	खुशबू शर्मा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, शाहपुरा	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	17/सी
18	सतीश कुमार बाजिया	सूचना सहायक	निदेशालय, जयपुर	एम.सी.ए द्वितीय वर्ष 2017–18	18/सी
19	देवेन्द्र सिंह	च.क्षे.कर्म.	उपनिदेशक जयपुर	12 वी वर्ष 2017–18	19/सी
20	नीलू परमार	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना डूँगरपुर	एम..ए. प्रथम वर्ष वर्ष 2017–18	20/सी
21	रेखा मीणा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना डूँगरपुर	एम..ए. प्रथम वर्ष वर्ष 2017–18	21/सी
22	ज्याना देवी	महिला पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना, डेगाना (नागौर)	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	22/सी
23	इरफान अहमद	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, राजसमंद	पी.जी.डी.सीए वर्ष प्रथम वर्ष 2017–18	21/सी
24	सतेन्द्र कुमार	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, पिण्डवाडा	बी.ए प्रथम वर्ष 2017–18	22/सी
25	राकेश कुमार	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, पीपलखूट	एम.ए. अन्तिम वर्ष 2017–18	23/सी
26	राजीव यादव	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना, पीपलखूट	बी.ए प्रथम वर्ष 2017–18	24/सी
27	सविता मीणा	पूर्व प्राथमिक अध्यापक	बाल विकास परियोजना डूँगरपुर	एम..ए. प्रथम वर्ष वर्ष 2017–18	25/सी

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

कमांकःएफ.16(1)(93)सामा/आईसीडीएस/13/21977-2009 जयपुर,दिनांकः 5-2-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ——————————।
2 बाल विकास परियोजना अधिकारी,———— जिला————————।
3 संबंधित श्री/श्रीमती ——————————पद———— द्वारा परि. ——————————जिला————————।
4. ए सी पी, मुख्यालय को वेवसाईड पर अपलोड करने बाबत ।
5 आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।